



2026:AHC:41821-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट ए संख्या - 368/2026

हरिश्चंद्र

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : देव प्रकाश सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मुख्य अधिशासी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री डी.पी. सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान राज्य सरकार के स्थायी अधिवक्ता (स्टैंडिंग काउंसल) श्री राहुल मालवीय को सुना गया।

2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि जब रिट याचिकाकर्ता जिला कारागार, वाराणसी में हेड जेल वार्डर के पद पर तैनात था, तो रिट याचिकाकर्ता को दिनांक 01.05.2025 को “अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



निलंबित कर दिया गया और उसे जिला कारागार मिर्जापुर में संलग्न कर दिया गया तथा रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। तथापि, जांच कार्यवाही की लंबित रहने के दौरान, रिट याचिकाकर्ता को दिनांक 14.06.2025 को वाराणसी से फतेहगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। इस स्थानांतरण को रिट-ए संख्या 8684 / 2025, हरिश्चंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में चुनौती दी गई थी, जिसका निस्तारण दिनांक 03.07.2025 पर रिट याचिकाकर्ता को प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता बताते हुए किया गया था। तत्पश्चात, रिट याचिकाकर्ता द्वारा किया गया प्रतिनिधित्व दिनांक 05.08.2025 को नामंजूर कर दिया गया, जिसे रिट-ए संख्या 12425 / 2025, हरिश्चंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में चुनौती दी गई है, जो इस न्यायालय के समक्ष लंबित है। तथापि, रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, यद्यपि फतेहगढ़ स्थानांतरण के पश्चात, रिट याचिकाकर्ता ने स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है, किंतु वाराणसी में रिट याचिकाकर्ता को आवंटित आवासीय क्वार्टर पर उसके परिवार के सदस्यों का कब्जा अभी भी है और अब दिनांक 05.12.2025 को जेल अधीक्षक, जिला कारागार, वाराणसी द्वारा विवादित आदेश पारित कर रिट याचिकाकर्ता से दंडात्मक किराया के रूप में रुपये 50,840/- वसूले जाने का प्रयास किया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि यद्यपि रिट याचिकाकर्ता दिनांक 14.06.2025 को फतेहगढ़ स्थानांतरित हो गया था और दिनांक 07.08.2025 को उसे एक नोटिस जारी की गई थी, जिसके पश्चात दिनांक 06.10.2025 तथा 22.10.2025 की अन्य नोटिसें जारी की गईं, किंतु रिट याचिकाकर्ता ने क्वार्टर को खाली नहीं किया है।

3. दिनांक 05.12.2025 के आदेश को चुनौती देते हुए, वर्तमान याचिका दायर की गई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. इस न्यायालय ने विद्वान राज्य सरकार के अधिवक्ता से निर्देश मांगते हुए, रिट याचिका पर दिनांक 16.01.2026 को सुनवाई की। आज, श्री राहुल मालवीय ने जेल अधीक्षक, जिला कारागार, वाराणसी के दिनांक 22.02.2026 के हस्ताक्षर युक्त निर्देश प्रस्तुत की है। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि एक बार जब रिट याचिकाकर्ता को दिनांक 14.06.2025 को वाराणसी से फतेहगढ़ स्थानांतरित करने का आदेश पहले से ही रिट-ए संख्या 12425 / 2025 में चुनौती का विषय है, और यह तथ्य भी कि रिट याचिकाकर्ता के दिनांक 14.06.2025 को वाराणसी से फतेहगढ़ स्थानांतरण से पूर्व, रिट याचिकाकर्ता को दिनांक 01.05.2025 पर निलंबित कर संलग्न कर दिया गया था और तत्पश्चात रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध जांच संचालित की गई, अतः विवादित आदेश कायम नहीं रखा जा सकता है तथा इसे जिला वाराणसी में सरकारी आवास के अनुधारण के संबंध में राशि की वसूली करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। विवाद यह है कि विभागीय कार्यवाही में, जांच संचालित की गई और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई तथा रिट याचिकाकर्ता को दिनांक 25.11.2025 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और रिट याचिकाकर्ता ने दिनांक 14.12.2025 को अपना जवाब प्रस्तुत किया। प्रस्तुतीकरण है कि इस तथ्य के बावजूद कि रिट याचिकाकर्ता को जिला फतेहगढ़ में सरकारी आवास नहीं दिया गया है, अतः दिनांक 21.11.2016 के सरकारी आदेश के परिप्रेक्ष्य में, रिट याचिकाकर्ता वाराणसी के क्वार्टर को अनुधारित (रिटेन) करने का अधिकारी है। **रिट-ए संख्या 2312 / 2025, अवधेश कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य** में पारित अंतरिम आदेश तथा **रिट-ए संख्या 16812 / 2008, अब्दुल लतीफ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** में पारित आदेश का भी भरोसा दिया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. दूसरी ओर, राज्य सरकार के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय ने तर्क प्रस्तुत किया कि यद्यपि रिट याचिकाकर्ता दिनांक 14.06.2025 को स्थानांतरित किया गया था, और उक्त स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी गई थी, किंतु स्थानांतरण आदेश पर कोई अंतरिम आदेश नहीं है क्योंकि रिट याचिकाकर्ता ने स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है, किंतु उसने फतेहगढ़ में क्वार्टर के आवंटन हेतु कोई आवेदन नहीं किया है और वह अनंत काल तक वाराणसी में क्वार्टर के अनुधारण का दावा नहीं कर सकता है। उनका यह भी प्रस्तुतीकरण है कि दिनांक 03.11.2025 को पहले ही रिट याचिकाकर्ता को एल.पी.सी. (अंतिम स्थानांतरण प्रमाणपत्र) जारी कर दिया गया है।

6. मैंने न्यायाधीश पीठ के समक्ष उठाए गए प्रस्तुतीकरणों को सुना है तथा अभिलेख का अवलोकन किया है।

7. स्पष्टतः, दिनांक 05.12.2025 का आदेश, जिसके द्वारा रुपये 50,840/- की हानि दंडात्मक किराया वसूले जाने का प्रयास किया गया है, चुनौती का विषय है। यह विवादित नहीं है कि दिनांक 14.06.2025 को, रिट याचिकाकर्ता वाराणसी से फतेहगढ़ स्थानांतरित हो गया था। यद्यपि दिनांक 03.07.2025 को निर्णीत रिट-ए संख्या 2648 / 2025 में, रिट याचिकाकर्ता को अपने स्थानांतरण के कारणों के प्रतिनिधित्व हेतु स्वतंत्रता दी गई थी, किंतु यह अनुरोध दिनांक 05.08.2025 को नामंजूर कर दिया गया और उक्त आदेश रिट-ए संख्या 12425 / 2025 में चुनौती का विषय है तथा उस पर कोई अंतरिम आदेश नहीं है। रिट याचिकाकर्ता दावा करता है कि उसने स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार जब रिट याचिकाकर्ता ने स्थानांतरित स्थान पर “अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कार्यभार ग्रहण कर लिया, तो वह उस संबंध में सरकारी आवास को अनुधारित नहीं रख सकता है। इसके अतिरिक्त, यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता को स्थानांतरण के पश्चात उपरोक्त क्वार्टर को अनुधारित रखने की अनुमति दी गई थी। विद्वान राज्य सरकार के अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 03.11.2025 को, एल.पी.सी. भी जारी कर दी गई है। हो सकता है कि रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, स्थानांतरण आदेश दंडात्मक प्रकृति का था, किंतु यह वर्तमान कार्यवाहियों में चुनौती का विषय नहीं है, बल्कि लंबित रिट याचिका में है, जिसे रिट याचिकाकर्ता को लड़ना है। इसके अतिरिक्त, यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रतिवादियों द्वारा कोई स्वीकृति प्रदान की गई थी कि उसे फतेहगढ़ में कोई क्वार्टर आवंटित नहीं किया गया है, या कोई सरकारी आदेश उसे क्वार्टर अनुधारित रखने का अधिकार देता है, विशेषकर जब वह दिनांक 14.06.2025 को बहुत पहले स्थानांतरित हो चुका था।

8. तदनुसार, हस्तक्षेप अस्वीकार किया जाता है। रिट याचिका खारिज की जाती है।

24 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”